राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 18/2019 – निगरानी

1. विकास अधिकारी पंचायत समिति रायपुर जिला भीलवाडा	बनाम	1. भंवरलाल पिता शोभा जाट निवासी आम्बा का खेडा 2. सरपंच/ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत नारायण खेडा
–निगराकार		– गैर निगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थित :–

1. श्री हरीश चन्द्र टेलर अधिवक्ता – निगराकार की ओर से
2. श्री सुनील बापना अधिवक्ता – गैर निगराकार संख्या 02 की ओर से

निर्णय

दिनांक 11.02.2020

निगराकार की ओर से यह निगरानी पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अंतर्गत गैर निगराकारान के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पंचायत नारायण खेडा के सरपंच श्रीमती दुर्गा देवी जाट एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री जगदीश चन्द्र शर्मा ने ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में भंवरलाल पिता शोभा जाट **निवासी आम्बा का खेडा को राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 158 के तहत दिनांक 27.03.2017 को पट्टा कमांक 28 जारी किया गया। इसके संदर्भ में शंकरलाल पिता भैरू जाट निवासी आम्बा का खेडा ने माननीय लोकायुक्त महोदय को शिकायत दर्ज कराइ जिसकी जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त पट्टा आवंटन में ग्राम पंचायत द्वारा कायम की गयी पत्रावली में नक्शा, स्थल, निरीक्षण, आपत्ति पत्र पर दिनांक का अंकन नहीं पाया गया हैं। ग्राम पंचायत द्वारा मिसलियात कार्यवाही एक साथ की गयी एवं राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 145,146,147 व 148 की पालना नही की गयी। उक्त पटटा आवंटन में प्रार्थी कि रियायती दर पात्रता का निर्धारण मिशलियात कार्यवाही में स्पष्ट नहीं होने के कारण पटटा निरस्त योग्य हैं। निवेदन हैं कि निगराकार की निगरानी स्वीकार करायी जाकर ग्राम पंचायत नारायण खेडा द्वारा जारी पट्टा संख्या 28 दिनांक 27.03.2017 को खारिज किया जावे।**

प्रस्तुत निगरानी इस न्यायालय में दिनांक 08.02.2019 को पंजीकृत करते हुये गैर निगराकारान को नोटिस जारी किये गये। गैर निगराकार संख्या 02 ने प्रारम्भिक आपत्ति के साथ जवाब पेश किया।

गैर निगराकार संख्या 02 द्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिक आपत्ति को

सुना गया एवं उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

निगराकार की ओर से अधिवक्ता ने अपनी बहस में निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि ग्राम पंचायत नारायण खेडा के सरपंच श्रीमती दुर्गा देवी जाट एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री जगदीश चन्द्र शर्मा ने ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में भंवरलाल पिता शोभा जाट निवासी आम्बा का खेडा को राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 158 के तहत दिनांक 27.03.2017 को पट्टा कमांक 28 जारी किया गया। इसके संदर्भ में शंकरलाल पिता भैरू जाट निवासी आम्बा का खेडा ने माननीय लोकायुक्त महोदय को शिकायत दर्ज कराई जिसकी जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त पट्टा आवंटन में ग्राम पंचायत द्वारा कायम की गयी पत्रावली में नक्शा, स्थल, निरीक्षण, आपत्ति पत्र पर दिनांक का अंकन नहीं पाया गया हैं। ग्राम पंचायत द्वारा मिसलियात कार्यवाही एक साथ की गयी एवं राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 145,146,147 व 148 की पालना नही की गयी। उक्त पटटा आवंटन में प्रार्थी कि रियायती दर पात्रता का निर्धारण मिशलियात कार्यवाही में स्पष्ट नहीं होने के कारण पटटा निरस्त योग्य हैं। निवेदन हैं कि निगराकार की निगरानी स्वीकार करायी जाकर ग्राम पंचायत नारायण खेडा द्वारा जारी पट्टा संख्या 28 दिनांक 27.03.2017 को खारिज किया जावे।

गैर निगराकार सं. 02 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि शिकायतकर्ता शंकरलाल जाट द्वारा लोकायुक्त सचिवालय राजस्थान को परिवाद पेश किया जिसमें ग्राम पंचायत नारायण खेडा के सरपंच के विरूद्व शिकायत की कि उसने ग्राम आम्बा का खेडा में नियम विरूद्व पटटे जारी किये हैं। इस संबंध में संयुक्त सचिव लोकायुक्त ने दिनांक 10.09.2018 को मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद भीलवाडा से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गयी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा लोकायुक्त महोदय को रिपोर्ट प्रेषित की गयी परन्तु इस रिपोर्ट में उक्त निगरानी प्रस्तुत करने हेतु विकास अधिकारी रायपुर या मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद भीलवाडा को निगरानी प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत किया हो ऐसा कोई निर्देश पत्रावली में नही हैं, और न ही मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने विकास अधिकारी पंचायत समिति रायपुर को निगरानी प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत किया हो और किसी हैसियत से अधिकृत किया है ऐसा कोई पत्र भी पत्रावली में नहीं हैं। इस प्रकार विकास अधिकारी रायपुर को उक्त निगरानी प्रस्तुत करने का कोई अधिकार ही नहीं हैं और न ही लोकायुक्त महोदय ने विकास अधिकारी पंचायत समिति रायपुर को उक्त निगरानी प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत ही किया है। लोकायुक्त महोदय के यहां जांच रिपोर्ट पेश की गयी जिसमें कार्यवाही लम्बित हैं। ऐसी स्थिति में निगरानी इसी स्तर पर खारिज होने योग्य हैं।

ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार पत्रावली कायम की गयी एवं स्थल निरीक्षण व नक्शा पर दिनांक 05.02.2017 अंकित हैं व आपत्ति पत्र पर भी दिनांक 20.02.2017 अंकित हैं। ग्राम पंचायत द्वारा पंचायती राज अधिनियम के नियम 145,146,147, व 148 की पूर्णतया पालना की गयी व मिशल की

कार्यवाही एक साथ नहीं की गयी। गैर निगराकार संख्या 01 गरीब काश्तकार होकर रियायती दर पर भूखण्ड प्राप्त करने की पात्रता रखता था, इसलिए ग्राम पंचायत द्वारा सर्वसम्मति से गैर निगराकार संख्या 01 को रियायती दर पर नियमानुसार पटटा जारी किया गया। शिकायकर्ता शंकरलाल जाट ने भवंर लाल पिता जोरू जाट निवासी आम्बा का खेडा को ग्राम पंचायत नारायण खेडा द्वारा जारी किये गये पटटा संख्या 20 के विरूद्व भी शिकायत की थी जिसका प्रकरण संख्या 2/18 निगरानी दर्ज हुई एवं बाद सुनवाई दिनांक 24.09.2018 को निगरानी खारिज हुयी। इसी प्रकार शिकायतकर्ता ने देवी लाल पिता भंवर लाल जाट निवासी आम्बा का खेडा को ग्राम पंचायत नारायण खेडा द्वारा जारी किये पटटा संख्या 23 के विरूद्व भी मगनीराम जाट व अन्य से निगरानी पेश करवाई जो भी दिनांक 24.09.2018 को खारिज हुयी। इस प्रकार शिकायतकर्ता द्वारा केवल मात्र गैर निगराकारान से द्वेषतावश व नाजायज राशि हड़पने के लिए शिकायत कर निगरानियां पेश करवाई है जो निरस्त योग्य हैं।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। गैर निगराकार सं. 01 ने सरपंच ग्राम पंचायत नारायणखेडा को कब्जेशुदा भूखण्ड का पटटा बनाने की प्रार्थना की है। सरपंच ग्राम पंचायत नारायणखेडा ने राजस्थान पंचायतीराज नियम 158(1) के तहत गैर निगराकार सं. 01 के पक्ष में रियायती दर से आवंटित किये जाने का निर्णय दिनांक 20.02.2017 को निर्णय लिया जाकर 23 ग में पटटा जारी किया गया।

राजस्थान पंचायतीराज नियम 158 भूमियों का कमजोर वर्गो को आवंटन इस प्रकार हैं –

(1) पंचायत, गांव आबादियों में 300 वर्ग गज तक की आबादी भूमि अनुसूचित जातियों, स्वच्छकारों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गो के सदस्यों को, गांव के कारीगरों, श्रम मजदूरी पर आधारित भूमिहीन व्यक्तियों, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में चयनित परिवारों, विकलांगों, यायावर जनजातियों, गाडिया लुहारों के पास स्वयं के गृहस्थल /गृह नहीं है और ऐसे बाढग्रस्तों को भी जिनके गृह बह गये है या गृह स्थल बाढ के कारण भावी निवास हेतु अयोग्य हो गये है, रियायती दरों पर आवंटित कर सकेगी।

राजस्थान पंचायतीराज नियम 158(1) के तहत गैर निगराकार सं. 01 को ग्राम पंचायत नारायणखेडा द्वारा रियायती दर से आवासीय भूखण्ड का आवंटन किये जाने में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नही होती है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगराकार की निगरानी स्वीकार योग्य नही ठहरती हैं। अतएव –

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम विरूद्व आदेश ग्राम पंचायत नारायणखेडा खारिज की जाती हैं। ग्राम पंचायत नारायणखेडा पटटा सं. 28 दिनांक 27.03.2017 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति मय तलबिदा रिकार्ड ग्राम पंचायत नारायणखेडा पंचायत समिति सहाड़ा को प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक **11.02.2020** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar
Date: 2020.02.11 15:48:37 IST
Reason: SelfAttested
Location: